

न्यायालय सिविल जज(प्रवर खण्ड) श्रावस्ती

प्रकीर्ण वाद संख्या-342 / 2026

शीतल प्रसाद बनाम कमलेश कुमार आदि

दिनांक 22.07.2026

पत्रावली पेश हुई।

पुकार कराये जाने पर आवेदक के तरफ से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0 पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं और न ही उसके द्वारा कोई मौका प्रार्थनापत्र ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आवेदक अपने प्रार्थनापत्र प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0 पर बल नहीं देना चाहता है। इसलिए वह उपस्थित नहीं आ रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0 पर बल न दिये जाने के कारण प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखागार हो।

(विनीत यादव)

सिविल जज(प्रवर खण्ड)/

ए0सी0जे0एम0

श्रावस्ती